

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
(समाज कल्याण शाखा)

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अन्तर्गत पंचायत स्तर पर गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगाने हेतु मुहरबंद लिफाफे में अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला समाज कल्याण कार्यालय पूर्वी सिंहभूम में जमा करने की अंतिम तिथि-...19.../03.../2020 को 11:30 बजे पूर्वाह्न तक होगी एवं उसी दिन 3:00 बजे अपराह्न में निदेशक DRDA, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

सामग्री एवं निविदा की शर्तें NIC के वेबसाईट www.jamshedpur.nic.in पर उपलब्ध है।

ज्ञापांक...331.../स0क0, जमशेदपुर, दिनांक...07.../03.../2020

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अति अल्पकालीन निविदा सामग्री एवं शर्तों को वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अति अल्पकालीन निविदा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

निविदा की शर्तः-

तकनीकी बीड

- निविदादाताओं को निविदा के साथ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पदनाम से 50000.00 (पचास हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 प्रतिभूति के रूप में जमा करना अनिवार्य है।
- कार्यालय द्वारा दिये गए नमूने के आधार पर गुड्डा-गुड्डी का Water Proof बोर्ड आपूर्ति करना है।
- बोर्ड का आपूर्ति पंचायत स्तर पर की जानी है। जिसके लिए अलग से परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
- विगत तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) का वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उक्त वर्षों का ITR संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता के प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाताओं को निविदा के साथ अलग लिफाफा में तकनीकी बीड जमा करना अनिवार्य है।
- निविदादाताओं को सामग्रियों का नमूना निविदा खोलने के समय क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- सामग्रियों की आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर निश्चित रूपेण आपूर्ति करना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- निर्धारित समय बीत जाने के बाद निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- बोर्ड का साईज 3 फीट चौड़ा एवं 2 फीट ऊँचा होगा। इसमें लिखे जाने की विवरणी कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
- सर्वप्रथम तकनीकी बीड खोला जाएगा एवं आहर्ता पूर्ण करने वाले निविदादाताओं का वित्तीय बीड भी खोला जाएगा।

वित्तीय बीड:-

1. निविदादाता को गुड्डा-गुड्डी का बोर्ड का दर सभी करों सहित दर्शाना होगा।
2. आपूर्तिकर्ता को किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति करने हेतु अग्रिम राशि देय नहीं होगा।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।